मॉड्यूल 2: ज़िला बाल संरक्षण इकाई

सत्र 1: ज़िला बाल संरक्षण इकाई का परिचय और इसकी रूपरेखा

अवधि: 8:19 मिनट

पहचान/चिन्हित करना

1. आईसीडीएस कार्यकर्त्ताओं, विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थानों, बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संस्थाएं तथा स्थानीय निकायों जैसे पंचायती राज संस्थाएं एवं शहरी स्थानीय निकायों आदि के साथ प्रभावी नेटवर्किंग एवं सम्पर्क के माध्यम से ऐसे परिवार जो संकट में हैं तथा देखरेख एवं संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों की पहचान करना।
2. समेकित बाल संरक्षण योजना के घटकों के क्रियान्वयन के लिए विश्वसनीय स्वैच्छिक संस्थाओं की पहचान करना तथा उन्हें सहयोग प्रदान करना।

कार्यान्वयन

- बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा राष्ट्रीय कार्य योजना में निर्धारित बाल संरक्षण से जुड़ें लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देना। ऐसा करते समय ज़िला बाल संरक्षण इकाई, राष्ट्रीय और राज्य की प्राथमिकताएं, नियमों एवं दिशानिर्देशों का पालन करेगी।
- प्रत्येक ज़िलों में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई और ज़िलों के समूहों के लिए जैसी भी आवश्यकता हो, 'गृहों' की स्थापना करके पर्याप्त संरचनात्मक ढांचा तैयार करना जिससे किशोर न्याय अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।
- कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन और अपने कार्यों को पूरा करने हेतु ज़िला, प्रखण्ड तथा ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन सुनिश्चित करना।
- हर स्तर पर बच्चों के स्थानान्तरण को सुगम बनाना चाहे बच्चे वापस परिवार में जा रहे हों या प्रायोजकता, नातेदारों की देखरेख, अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण, पालक देखरेख, अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण और संस्थानों में थोड़े या अधिक समय के लिए रखे जा रहे हों।
- जिले में बाल सरंक्षण से जुड़े अन्य कानूनों यथा, हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं रखरखाव अधिनियम, 1956; गार्जियन्स एण्ड वार्ड्स एक्ट, 1890; बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियम) अधिनियम 1986, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, अनैतिक तस्करी निषेध अधिनियम, 1986, गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 आदि अथवा कोई अन्य अधिनियम जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लागू होता है, इनके कार्यान्वयन को सुगम बनाना।

अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

- जिले में समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रभावी अनुश्रवण के लिए मापदण्ड तथा उपकरण तैयार करना।
- जिले में बच्चों को संस्थागत सुविधाएं देने वाली सभी संस्थानों/एजेन्सियों का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण करना।

समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत ज़िला बाल संरक्षण इकाई के अन्य प्रमुख उत्तरदायित्व

- बाल संरक्षण तंत्र के अन्तर्गत कार्य करने वाले सभी सरकारी या गैर सरकारी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना और उनकी क्षमता का विकास करना ताकि वे बच्चों को सही तरीके से सेवाएं प्रदान कर सकें।
- सभी हितधारकों के साथ, ज़िला स्तर पर त्रैमासिक बैठक करना जिसमें चाईल्ड लाईन सेवाएं, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण, बाल देखरेख गृहों के अधीक्षक, गैर सरकारी संस्थाएं एवं जनता के सदस्य शामिल हों, ताकि बाल संरक्षण गतिविधियों की प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा की जा सके।
- राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण तथा अन्य ज़िलों की बाल संरक्षण इकाईयों के साथ तालमेल तथा सम्पर्क बनाए रखना।
- ज़िला बाल संरक्षण समिति को साचिविक सहायता प्रदान करना।
- ज़िला स्तर पर संस्थागत देखरेख तथा गैर संस्थागत देखरेख में रह रहे सभी बच्चों का डाटाबेस तैयार करना। यह डाटा मैनेजमेंट सिस्टम अन्ततः एक व्यापक, समेकित तथा लाईव डाटाबेस– देश में देखरेख के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए संचालित पोर्टल 'ट्रैक द चाईल्ड' पर अपलोड किया जाएगा।
- बाल संरक्षण के मुद्दों पर अन्तर्विभागीय संपर्क बनाने के लिए सरकारी विभागों के साथ, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, मूलभूत शहरी सेवाएं, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक, युवा सेवाएं, पुलिस, न्याय–तंत्र, श्रम, राज्य एड्स सोसाईटी और अन्य विभाग शामिल हों, इनके साथ समन्वय तथा नेटवर्किंग करना। बाल अधिकार और संरक्षण के लिए कार्य करने वाली सामाजिक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग तथा समन्वय स्थापित करना।

कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन और बाल संरक्षण सेवाओं का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने में ज़िला बाल संरक्षण इकाई मुख्य भूमिका निभाएगी।

कोविड–19 जैसी महामारी के दौरान ज़िला बाल संरक्षण इकाई निम्न कार्यों में मुख्य भूमिका निभा सकती है–

- मूलभूत सेवाओं के लिए रेफेरल
- परिवार को ढूंढना, पुनः परिवार से मिलाना, परिवार से अलगाव की रोकथाम, आवश्यकतानुसार वैकल्पिक देखरेख का प्रावधान करना।

- मनोसामाजिक सहयोग– परामर्शदाताओं का रोस्टर तैयार करना जो बच्चों को टेलीफोन से या ऑनलाईन सेवाएं दे सकें।
- हिंसा की रोकथाम करना, और प्रतिउत्तर देना– आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए चाईल्ड लाईन को सहयोग देना।
- सोशल मीडिया/स्थानीय मीडिया के माध्यम से हिंसा का सामना कर रहे बच्चों की रिपोर्ट देने के तरीके के बारे में जागरुकता उत्पन्न करना।
- यह सुनिश्चित करना कि विशेष किशोर पुलिस इकाईयों को भी इन तरीकों की जानकारी हो।
- पुनर्वास की स्थिति की योजना की पुनः समीक्षा करना।
- सुप्रीम कोर्ट ने भी, कोविड–19 के दौरान बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए निर्णय दिया है। आप विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर देख सकते हैं।